न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00050RAAJodhpur2019-21RTA225 Bhanwarlal ors Vs Ganeshram etc

1. भंवरलाल पुत्र स्व पेमाराम
2. श्यामलाल पुत्र स्व. पेमाराम
   2.1. श्रीमती विषणु शर्मा पत्नी श्री श्यामलाल
   2.2. श्री शैलेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल
   2.3. श्रीमती विनिता पत्नी पुखराज जी पुत्री श्यामलाल
   निवासीगण ग्राम सिंघासनी, हाल निवासी- बी/31 महावीर कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।
3. गिरधारीलाल पुत्र स्व. पेमाराम
4. मदनलाल पुत्र स्व. पेमाराम

सभी जातियान् नाई, निवासीगण- बी-25 महावीर कॉलोनी, शिवम हॉस्पीटल के पास, राखी हाउस के सामने जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मृतक श्री गणेशराम के कायम मुकाम-
   1.1. श्री भंवरलाल पुत्र स्व. गणेशराम जी
   1.2. श्री लादूराम पुत्र स्व. गणेशराम जी
   1.3. श्री गंगाराम पुत्र स्व. श्री गणेशराम जी
   जातियान् नाई, निवासीगण- सिंघासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
   1.4. स्व. उषा पुत्री स्व. श्री गणेशराम जी पत्नी श्री चैनाराम सैन के कायम मुकामः -
      1.4.1. श्री शंकर पुत्र श्री चैनाराम जी
      1.4.2. सुश्री मंजू पुत्री श्री चैनाराम जी
      निवासीगण- ग्राम बींजवाड़िया, जिला जोपुर।
   1.5. श्री काली देवी पुत्री स्व. श्री गणेशराम जी पत्नी श्री पप्पाराम जी सैन, निवासी- चान्देलाव, जिला जोधपुर।
2. घीसाराम पुत्र स्व. धुलाराम उर्फ कुनाराम
3. पुखराज पुत्र स्व. धुलाराम उर्फ कुनाराम
   निवासीगण- ग्राम सिंघासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. मिश्रीलाल पुत्र धन्नाराम(अबेटेड)
5. बाबूलाल पुत्र धन्नाराम
6. श्रवणराम पुत्र आसुराम
7. सम्पतराम पुत्र आसुराम
8. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9. किशनलाल पुत्र आसुराम
   सभी जातियान् नाई, निवासीगण- सिंघासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 जनवरी 2019 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2017 गणेशराम व अन्य बनाम भंवरलाल इत्यादि

उपस्थित-
श्री भरत बूब, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रतन अणकिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दस

नि र्ण य

दिनांक : 20 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2017 अनवान गणेशराम व अन्य बनाम भंवरलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 31 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 308 रकबा 28.10 बीघा ग्राम सजाड़ा कलां तहसील लूणी के संबंध में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से अपीलांट्स की खातेदारी में स्पष्ट तौर से दर्ज चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स का अपने हिस्से अनुसार रकबा 14.05 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के काउंटर क्लेम को न मानने में भारी भूल की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2008(3) सी.सी.सी. पेज 294 में अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी संपति के लिए पजेशन टाईटल को फोलो करेगा। विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज है। अपीलांट से पूर्व उनके पिता श्री पेमाराम जी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज था एवं उससे पूर्व उनके पिता स्व. श्री धुलोराम जी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट्स का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना-देना नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तमाम राजस्व रेकर्ड की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। रेस्पो. का कथन है कि धुलोजी का अन्य नाम कुना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पो. के मौखिक कथन को सत्य मानते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 जनवरी 2019 को निरस्त किया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम में चाहा गया अनतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सेटलमेंट अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन के पूर्वज घुलजी उर्फ कुनजी को एवं धन्नजी को गांव नाई होने के कारण पसायतेदार के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसमें घुलजी एवं धन्नजी का बराबर-बराबर हिस्सा था एवं इसी अनुसार वर्तमान में भी घुलजी के वारिसान् अप्रार्थी संख्या एक से तीन एवं धनजी के वारिसान् अप्रार्थी संख्या पांच से नौ आज दिन तक काबिज है एवं हर वर्ष खेती करते है। घुलजी उर्फ कुनजी एवं धन्नजी सगे भाई थे। इनके अलावा तीन और भाई थे जो कि क्रमश नारायण, भाणा एवं धूलारामजी थे। धन्नारामजी बिरदाजी के खोले चले गये थे, इसलिए पूर्व के राजस्व रेकर्ड में धन्ना वल्द बिरदा दर्ज किया हुआ है, लेकिन वास्तव में मूलाजी के वारिस थे। धूलारामजी की कम उम्र में ही नौकरी लग गयी थी, इसलिए धूलारामजी नौकरी लगने के पश्चात सजाड़ा गांव छोड़कर शहर में आ गये एवं अपने नौकरी होने से वे शहर में ही अपना जीवन यापन किया। धूलारामजी के फौत होने के पश्चात उनके पुत्र पेमारामजी की भी नौकरी लग गयी थी, इसलिए धुलारामजी का परिवार सजाड़ा गांव में कभी रहा ही नहीं। आज दिन भी धूलारामजी के वारिसान् अपीलांट्स जोधपुर शहर में ही उपरोक्त लिखे गये पत्ते पर निवास करते है एवं कभी भी गांव आना जाना नहीं करते है, क्योंकि गांव में उनका न तो मकान है एवं न ही किसी प्रकार की कोई जमीन है। कालांतर में घुलजी उर्फ कुनजी का बोलता नाम घुला वल्द मूला के रूप में राजस्व रेकर्ड में निरन्तर चला आ रहा है, लेकिन धूलारामजी के फौत होने के पश्चात घुलारामजी उर्फ कुनाराम को ही धूलाराम समझकर घुलजी के स्थान पर पेमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कभी भी धूलारामजी का कब्जा काश्त नहीं रहा, बल्कि धूलारामजी लगभग नौकरी लगते ही यौवनवस्थ में ही जोधपुर शहर में ही निवास करने लग गये थे, उनके फौत होने के पश्चात उनके वारिस भी जोधपुर में ही रह रहे है। घुलजी उर्फ कुनजी के वारिसानों के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धूलारामजी के वारिसान् के नाम भूलवश एवं लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज किये गये है, जो कि कानूनन गलत है एवं धूलारामजी के वारिसान् अपीलांट्स के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन के नाम दर्ज किये जाकर राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है। उक्त विवादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार वास्तव में अप्रार्थीगण के पूर्वज थे एवं वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या एक से तीन का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है एवं खेती कर रहे है। अपीलांट्स मूल वाद के विचाराधीन रहते राजस्व रेकर्ड की आड़ में रेस्पोडेंट्स को मौके से बेदखल करने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1084, आर.आर.टी.2015(2) पेज 1300 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2011-2030 ग्राम सजाड़ा तत्समय तहसील जोधपुर के खाता संख्या 56 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 03 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा की वक्त सेटलमेंट अपीलांट के दादा धुलो वल्द मुलो एवं धन्ना वल्द बिरदा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। तत्पश्चात धूलाजी की फौतेदगी पर उनके स्थान पर पेमाराम पुत्र धुलाराम का नाम दर्ज किया जाना पाया जाता है। स्व. पेमाराम की फौतेदगी पर उनके वारिसान्/अपीलांट्स के नाम का वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है।

जहां तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोडेंट्स के खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है, विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होने है। तब तक रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2017 अनवान गणेशराम व अन्य बनाम भंवरलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी 2019 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर